General Medical Council

यदि डॉक्टर आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, तो क्या अपेक्षा करनी चाहिए

यदि डॉक्टर चिंतित है कि किसी बच्चे या युवा को प्रताड़ित या उपेक्षित किए जाने की संभावना है, तो उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वह बच्चा या युवा सुरक्षित रहे। यदि किसी परिवार में ऐसा घटित होता है, तो वहाँ अत्याधिक चिंता और तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है और माता-पिता के मन में प्रश्न उठ सकते हैं कि उनके डॉक्टर को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इस विवरणिका से इन सवालों के जवाब ढूँढने में मदद मिलेगी।

संभव है कि आपके पास ऐसे प्रश्न हों, जो यहाँ शामिल नहीं हैं। अत: हमने इस पुस्तिका के अंत में मार्गदर्शन और सहायता के लिए अन्य स्रोतों के बारे में बताया है।

यदि डॉक्टर को लगता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है, तो वे क्या करेंगे?

उनके द्वारा उठाए जाने वाला कदम परिस्थितियों पर निर्भर होगा। यथासंभव आपके डॉक्टर को आपके साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके बच्चे की देखभाल हो और उसे उचित सहायता दी जाए।

यदि डॉक्टर यह तय न कर पाएँ कि यह किसी बाल सुरक्षा एजेंसी को बताई जाए, तो उन्हें इसे किसी अनुभवी सहकर्मी (जैसे अन्य डॉक्टर या नर्स) को बतानी चाहिए और उनसे राय और मदद लेनी चाहिए। यदि संभव हो, तो वे यह कार्य आप और आपके बच्चे की पहचान बताए बिना करेंगे।

यदि डॉक्टर चिंतित हैं कि बच्चे को प्रताड़ित या उपेक्षित किए जाने की संभावना है, या वह यह सब झेल रहा है, तो उन्हें यह बात बाल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसी, जैसे बाल सेवाओं के स्थानीय प्राधिकारी, या NSPCC को बतानी चाहिए।

क्या ऐसा करने से पहले डॉक्टर मुझसे बात करेंगे?

यदि डॉक्टर आपके बच्चे की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं, तो सामान्यत: वे आपको बताएंगे और चर्चा करेंगे कि इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। यदि उन्हें लगे कि इससे आपके बच्चे को नुकसान पहुँचने का खतरा बढ़ जाएगा, तो इस स्थिति में वे आपको नहीं बताएंगे।

आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए और आपके प्रश्नों के उत्तर खुले तौर पर ईमानदारी से दिए जाने चाहिए। डॉक्टर को सुनना चाहिए और किसी भी उपेक्षा या प्रताड़ना के संकेत देने वाले किसी भी चिह्न या चोट के संभावित कारणों के बारे में खुले मन से विचार करना चाहिए।

क्या डॉक्टर अपनी चिंताओं के बारे में मेरे बच्चे से बात करेंगे?

डॉक्टर को आपके बच्चे की आयु और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए उससे सीधे बात करनी चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए। उन्हें निर्णय लेते समय हमेशा आपके बच्चे के नजरिए को ध्यान में रखना चाहिए। यदि बच्चे को आपकी अनुपस्थिति में डॉक्टर से बातें करने में मदद मिलती है, तो ऐसा ही करना चाहिए।

क्या डॉक्टर को अपनी चिंताओं को किसी अन्य व्यक्ति के सामने जाहिर करने से पहले मेरी सहमति लेनी आवश्यक है?

डॉक्टर को अपनी चिकित्सा टीम से बाहर किसी अन्य व्यक्ति के सामने आप और आपके बच्चे की जानकारी बताने से पहले सामान्यत: आपकी सहमति लेनी चाहिए। वे आपसे सहमति लेंगे, बशर्ते कोई अन्य बात आड़े न आती हो - जैसे डॉक्टर को लगे कि ऐसा करने पर आपके बच्चे के लिए जोखिम बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपसे पूछे बिना जानकारी साझा कर सकते हैं।

यदि आपके बच्चे में परिपक्वता है और निर्णय लेने की समझ है, तो वह डॉक्टर को जानकारी साझा करने की अनुमति दे सकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो आपसे स्वयं और बच्चा, दोनों की सहमति मांगी जाएगी।

आपसे सहमति मांगने से पहले डॉक्टर आपको बताएंगे कि वे कौन-कौन सी जानकारी साझा करना चाहते हैं, और क्यों, एवं इस जानकारी का उपयोग किस तरह किया जाएगा।

यदि मैं या मेरा बच्चा सहमति देने से मना करे तो?

डॉक्टर उन कारणों पर विचार करेंगे कि सहमति के लिए क्यों मना किया गया है। वे इस जानकारी के साझा न करने पर आपके बच्चे को होने वाली हानियों पर भी विचार करेंगे।

यदि आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके बच्चे के लिए नुकसान का पर्याप्त जोखिम है, तो वे जानकारी सामान्यत: ऐसे लोगों से साझा करेंगे जिन पर आपके बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और आपको बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

क्या डॉक्टरों को गोपनीयता का सम्मान नहीं करना चाहिए?

बच्चे और युवाओं एवं उनके परिवार वालों को गोपनीय चिकित्सा उपचार और परामर्श हासिल करने का अधिकार है। परंतु कभी-कभी डॉक्टरों को बच्चों और युवाओं को प्रताड़ित और उपेक्षित होने से बचाने के लिए यह जानकारी अन्य लोगों को बतानी पड़ती है।

मैं अधिक सहायता और सलाह के लिए कहाँ जा सकता हूँ?

NSPCC बच्चों और युवाओं की ओर से चलने वाला एक राष्ट्रीय जनकल्याण अभियान है। NSPCC की हैल्पलाइनें हैं जहाँ बच्चे और युवा सलाह और सहायता के लिए फोन कर सकते हैं। सलाह और सहायता के लिए बच्चे और युवा लोग चाइल्ड-लाइन 0800 111 पर तथा बड़े व्यक्ति 0808 800 5000 पर कॉल कर सकते हैं।

www.nspcc.org.uk

जिन व्यक्तियों के बच्चे स्थानीय प्राधिकारी बाल सेवाओं में संलग्न हैं, उनके लिए **फैमिली राइट ग्रुप** (FRG) मुफ्त गोपनीय सलाह एवं सहायता सेवा प्रदान करता है। परिवार वाले इसकी मुफ्त सहायता सेवा 0808 801 0366 पर कॉल कर सकते हैं या advice@frg.org.uk पर ईमेल कर सकते हैं।
FRG की ढेर सारे मुफ्त सलाह पत्रक इनकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

www.frg.org.uk

कोरम चिल्ड्रन्स लीगल सेंटर (CCLC) में बच्चों, युवाओं एवं उनके परिवार वालों, तथा देखभालकर्ताओं और पेशेवरों को मुफ्त कानूनी जानकारी, सलाह और प्रस्तुतीकरण प्रदान किया जाता है। परिवार वाले बाल-कानून, परिवार कानून एवं शिक्षा कानून पर कानूनी सलाह लेने के लिए इसकी मुफ्त सलाह सेवा 08088 020 008 पर कॉल कर सकते हैं।

www.childrenslegalcentre.com

सिटीज़न एडवाइज़ एक स्वतंत्र संगठन है जो सभी व्यक्तियों को सभी विषयों पर मुफ्त, गोपनीय और निष्पक्ष सलाह प्रदान करता है। इनकी वेबसाइट पर भी सलाह और जानकारियाँ मौजूद हैं।

www.citizensadvice.org.uk

फैमिली लाइव्स एक राष्ट्रीय जनकल्याण कारी संस्था है जो पारिवारिक जीवन के सभी पहलुओं पर सहायता और मदद देती है। इसकी पैरेंटलाइन नामक एक गोपनीय सेवा (0808 800 2222) है, जिस पर माता-पिता लैंडलाइन और अधिकांश मोबाइल से मुफ्त कॉल कर सकते हैं तथा परवरिश और पारिवारिक जीवन के किसी भी पहलू पर जानकारी, सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

www.familylives.org.uk

होम-स्टार्ट यू.के. एक राष्ट्रव्यापी जनकल्याणकारी संस्था है जो अपने स्वयंसेवकों के नेटवर्क के जरिए बच्चों और उनके परिवार वालों की सहायता करती है।

www.home-start.org.uk

फैमिली एक्शन एक जनकल्याणकारी संस्था है जो उपेक्षित और सामाजिक रूप से बहिष्कृत परिवारों को व्यावहारिक, भावनात्मक और वित्तीय सहायता देती है।

www.family-action.org.uk

विक्टोरिया क्लाएंबी फाउंडेशन बच्चों, युवाओं और बच्चों की सामाजिक देखभाल में शामिल उनके परिवार वालों को, विशेषकर संस्कृति और आस्था के पहलुओं पर मुफ्त स्वतंत्र सलाह और विशेषज्ञों की सहायता प्रदान करती है।

www.vcf-uk.org

© General Medical Council | The GMC is a charity registered in England and Wales (1089278) and Scotland (SC037750)
Code: GMC/WEDWCS-H/1014